

प्रेम्क,

कमेश्वर प्रसाद सिंघ,
निदेशक मा० वि०, बिहार ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षण केन्द्र 2, कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक-

विषय:- मखिया एकेडमी, औरंगाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।
महाराष्ट्र,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिनियम संख्या 238 दिनांक-03-04-2006 के आलोक में जिला शिक्षण पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त जॉब प्रोविडेंस एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गयी तथा मखिया एकेडमी, औरंगाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुमति की गयी है । समिति की अनुमति के आलोक में समीक्षापरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

1. विद्यालय का संचालन निर्बंधित जगराज एजुकेशन ट्रस्ट, एम०जी० रोड० औरंगाबाद द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय से निर्बंधित ट्रस्ट में एक परिवार का प्रभुत्व न होने का प्रमाण-पत्र समर्पित किया है । ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है, सभी का पेशवा तो बताया गया है, किन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वार्षिक व्ययसाय का पता नहीं चलता है । शर्तों के अनुसार विद्यालय ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वार्षिक पेशवा को स्पष्ट करना चाहिये । सदस्यों की सूची तल्लग्न है ।

2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सौसाईटी/व्यास के प्रेन्चाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रैंड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है ।

3. विद्यालय की निर्बंधन के माध्यम से 2 एकड़ । ज़मीन भूमि 30 कर्षों के लीज पर उपलब्ध है, जिसपर विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है । वर्तमान में विद्यालय निःशुल्क मकान में चल रहा है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को

की स्थान निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुस्यू हैं।

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति तंत्राचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया गया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु सेवा की ई तादय नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्र शिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुस्यू है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित गुणों, वार्षिक लेख अर्हता तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुस्यू कार्रवाई करे इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित स है सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 में उल्लेखित अधिष्ठित शर्तों स्वीकार है। अधिष्ठित शर्तों के अनुसार:-

1.11 विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनके दूसरे शुल्क अत्रा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अजाति, विधवा वर्ग, अत्यल्पवयक, विकलांग, बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रुपये प्रतिवर्ष होमें।

1.12 विद्यालय में नतीरी/कजी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार। बच्चों सर्व माता/पिता सहित नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आमेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो कुी तरीका से प्रवेश के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

।।।।। नर्सरी/कोजी तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवात की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

।।।।। जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदंड के आधार पर संघालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करना होगा तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

10. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रसंगाधीन न्यायादेशों के आलोक में स्कूल किसी शैल नाम का उपयोग नहीं करे जिसे भ्रम उत्पन्न होता है ।

11. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति

प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करते की कार्रवाई की जायेगी ।

12. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-18-1-2008 द्वारा शिक्षक/जत्रों को शारीरिक टांड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालय द्वारा पालन करना होगा ।

13. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय बुला रहेगा ।

14. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सर्व वर्णित शक्तियों के आधार पर
 मैक्स एकेडमी, औरंगाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से
 सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विशवातभाजन,

ह/-

। कमलेश्वर प्रसाद सिंह ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

ज्ञापक-

342 / पटना, दिनांक 28/3/08.

प्रतिलिपि- मैक्स एकेडमी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यादेश

प्रेषित ।

26/3/08

। कमलेश्वर प्रसाद सिंह ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

26/3/08